

To Office 26/11/09

जी० आर० कन्देकर विचार विम्वविद्यालय,
मुम्बई

बन्धनोच्छेद / स्नातक / स्नातकोत्तर स्नातकों में नामांकन सम्बन्धी विनियमनों

विचार / शैक्षिक संस्थानों में नामांकन ; आरक्षण अधिनियम 2003 द्वारा विनियमित प्रावधान :-

नामांकन में आरक्षण विनियमन 1- पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन निम्नांकित शैक्षिक संस्थानों में विनियमित किया जा सकेगा, यथा :-

- क- कुल गणना कोटि से - 50 प्रतिशत
 - ख- आरक्षित कोटि से - 50 ..
- 2- आरक्षित कोटि जो 50 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों को शैक्षिक कोटियों को रिक्तियों इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नांकित रहे से होंगे :-

क- अनुचित जातियाँ :-	16 प्रतिशत
ख- अनुचित जनजातियाँ :-	21 ..
ग- अत्यन्त पिछड़े वर्ग :-	18 ..
घ- पिछड़े वर्ग :-	12 ..
ङ- पिछड़े वर्ग की महिलाएँ :-	03 ..
कुल :-	50 प्रतिशत

3- सम्बन्धित शैक्षिक संस्थानों में नामांकन हेतु निर्धारित वापस प्राप्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों वाले उम्मीदवारों को नामांकन का प्रथम आह्वान देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण पूर्ण नहीं हो तो उसे निम्नांकित शैक्षिक संस्थानों में विनियमित किया जावेगा ।

- क- अनुचित जातियों एवं अनुचित जनजातियों के बीच विनियमन तैय्य होगा ।
 - ख- अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के बीच विनियमन तैय्य होगा ।
- उपरोक्त [5] के संक [क] में अन्तर्लिखित प्राप्ति पूर्ण करने के बाद यदि किसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण पूर्ण नहीं हो जाता है तो उक्त रिक्तियों के उक्त संक में प्रशासकीय विभाग के माध्यम से उसे सम्बन्धित से आरक्षित शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा कर दिया जायेगा ।

ग- पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

- 1- अनुचित जाति के उम्मीदवारों से ।
- 2- अनुचित जनजातियों के उम्मीदवारों से ।
- 3- अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से ।
- 4- पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से ।

उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत में सभी वर्गों में नामांकन किये जायेंगे ।
4- स्वोक्त स्थानों के अतिरिक्त निम्नांकित शैक्षिक संस्थानों के लिए नामांकन

- 2. प्राचाय के स्कोलक कोटा के अन्तर्गत :- 2 प्रतिशत
- 3. कुलति के रेसिडक कोटा के अन्तर्गत :- 2 ..
- 4. सारोरेक 15 के डिप्लोम हाथ तथा
केए एंड डेरा हाथ-हाथ के लिए :- 3 ..
- 5. महाविद्यालयों के दास्ता के लिए :- 1 ..
- 6. महाविद्यालयों / डिप्लोम विद्यालय के शिक्षकों
के अधिकारों के लिए :- 2 ..
- 7. महाविद्यालयों / डिप्लोम विद्यालय कर्मियों के
अधिकारों के लिए :- 2 ..
- 8. डिप्लोम विद्यालय के पदाधिकारियों के अधिकारों
के लिए :- 1 ..
- 9. शिक्षकों के अधिकारों के लिए :- 1 ..
- 10. स्वयंसेवक नरकारी सेतकों के लिए :- 1 ..
- 11. विदेशी छात्रों के लिए :- 1 ..

अधिकारों की श्रेणी :-

प्रथम श्रेणी :- पत्र, पत्रिका, पत्नी, पति,
द्वितीय श्रेणी :- दांगद, भतीजा, भतीजी, बान्देर छोटा भाई अं वल
कुल प्रायोगिक अं आयोगिक वर्गों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

दिनांक 15.6.9.
डि. जे. कुमार जायसवाल
अ. स. डा. कल्याण